एस.एस. निज्जर और एम.एम. अग्रवाल के समक्ष

भूपिन्दर सिंह - याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा संघ और अन्य - उत्तरदाताओ

सी डबलू पी 2005 का संख्या 4712

24 मार्च, 2005

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता के पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई-याचिकाकर्ता आश्रित पुत्र है जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है-याचिकाकर्ता की मां उस समय जेबीटी शिक्षक के पद पर कार्यरत थी जब उसने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था-अस्वीकृति मुख्य सचिव स्तर तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले में - लगभग 5 वर्षों के बाद स्थापना अधिकारी ने याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ देने के लिए अपने स्तर पर उसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना क्लर्क के पद पर नियुक्त कर दिया - 8 मई 1995 और 20 अगस्त 1996 के निर्देशों के विपरीत याचिकाकर्ता की नियुक्ति - कारण बताओ नोटिस देने के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करना - प्रतिवादियों की कार्रवाई न तो मनमाना है और न ही अनुचित है - याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है क्योंकि उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है उल्लंघन - याचिका खारिज।

अभिनिर्णित, वैधानिक सेवा नियमों के विपरीत की गई कोई भी नियुक्ति प्रारम्भ से ही शून्य है। बाद में गलती सुधारे जाने पर याचिकाकर्ता के किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी गयी है. मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया। नीतिगत निर्णय के तहत भी उन आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जिनकी पारिवारिक आय 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक है। माना कि जिस समय याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उस समय याचिकाकर्ता की मां जेबीटी शिक्षक के पद पर 3,468 रुपये प्रति माह वेतन ले रही थीं। याचिकाकर्ता का आवेदन वास्तव में 7 मार्च 1996 को उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मृतक के परिवार की आय 2,500 रुपये प्रति माह से अधिक थी। इसके बाद मामला हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया। यहां तक कि मुख्य सचिव ने भी कहा कि 22 अगस्त 1996 के सरकारी निर्देशों के अनुसार, यदि माता-पिता में से एक जीवित है और सरकारी सेवा में है, तो मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी के हकदार नहीं होंगे। मुख्य सचिव की उक्त सलाह के बावजूद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को स्थापना पदाधिकारी ने अपने स्तर से मंजूरी दे दी। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी यानी इंजीनियर-इन-चीफ की मंजूरी के बिना भी की गई थी। यह 8 मई 1995 और 20 अगस्त 1996 के सरकारी निर्देशों का भी उल्लंघन था। याचिकाकर्ता को गलत इरादे और

गलत इरादे से संबंधित अधिकारी/अधिकारी की मिलीभगत से नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करके नियुक्ति दी गई थी। याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ। उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता।

(पैरा 3)

जितेंद्र नारा, अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिये

निर्णय

एस.एस. निज्जर जे. (मौखिक)

(1) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(2) याचिकाकर्ता के पिता हरियाणा के सिंचाई विभाग में अकाउंटेंट क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, जब 12 मई 1994 को उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने मृतक का आश्रित पुत्र होने के नाते 3 अगस्त 1994 को अनुकंपा आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। पांच से अधिक के बाद वर्ष 15 अक्टूबर 1999 को याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। उन्हें 18 अक्टूबर 1999 को क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था। तब से याचिकाकर्ता संतोषजनक रूप से क्लर्क के पद पर काम कर रहा था। याचिकाकर्ता का दावा है कि जब उसने नियुक्ति मांगी थी तो उसने कोई तथ्य नहीं छुपाया था। 5 जुलाई 2004 को याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं क्योंकि नियुक्ति नहीं हुई थी। नियमों के तहत और सक्षम प्राधिकारी यानी इंजीनियर-इन-चीफ की मंजूरी के साथ। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि नियुक्ति के लिए आवेदन 3 अगस्त 1994 को प्रस्तुत किया गया था। उसने यह तथ्य नहीं छिपाया कि उसकी मां जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। उनकी नियुक्ति पर उस समय प्रचलित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है। सिंचाई विभाग उनकी नियुक्ति के मामले को टालता रहा और अंततः 15 अक्टूबर 1999 को उन्हें नियुक्ति देने का फैसला किया। नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने में विभाग को पांच साल और दो महीने लग गए। यदि नियुक्ति उचित समय पर की गई होती तो 8 मई 1995 के निर्देशों की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं होता। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाना विभाग का आंतरिक मामला है. विभाग की गलती की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि उसने 4-1/2 साल से अधिक की सेवा प्रदान की है और अब वह अधिक उम्र का हो गया है। उनके लिए किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा. किसी अन्य सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद 16 मार्च 2005 को एक आदेश पारित किया गया। इंजीनियर-इन-चीफ ने

ऊपर उल्लेखित याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किया था। यह देखा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए सरकारी सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। इसलिए, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी के अभाव में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति हरियाणा सरकार की नीति के खिलाफ थी। हम विद्वान वकील की उपरोक्त दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि कोई भी नियुक्ति जो वैधानिक सेवा नियमों के विपरीत की जाती है वह शुरू से ही अमान्य है। यदि बाद में गलती सुधार ली जाती है तो याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी गयी है. प्रमुख अभियंता द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया। नीतिगत निर्णय के तहत भी उन आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी जिनकी पारिवारिक आय 2500 रुपये प्रति माह से अधिक है। माना कि जिस समय याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उस समय याचिकाकर्ता की मां जेबीटी शिक्षक के पद पर 3468 रुपये प्रति माह वेतन ले रही थीं। याचिकाकर्ता के आवेदन को वास्तव में उचित रूप से खारिज कर दिया गया था, मृतक के परिवार को प्रति माह 2500 रुपये से अधिक का भुगतान करना था। इसके बाद मामला हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया। यहां तक कि मुख्य सचिव ने भी राय दी कि 22 अगस्त 1996 के सरकारी निर्देशों के अनुसार, यदि माता-पिता में से एक जीवित है और सरकारी सेवा में है, तो मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा के आधार पर रोजगार के हकदार नहीं होंगे। मुख्य सचिव की उक्त सलाह के बावजूद याचिकाकर्ता की नियुक्ति को स्थापना पदाधिकारी ने अपने स्तर से मंजूरी दे दी. दूसरे शब्दों में, नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी यानी इंजीनियर-इन-चीफ की मंजूरी के बिना भी की गई थी। यह 8 मई 1995 और 20 अगस्त 1996 के सरकारी निर्देशों का भी उल्लंघन था। याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के गलत इरादे और गलत इरादे से संबंधित अधिकारी/अधिकारी की मिलीभगत से नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करके याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी गई थी। हमारी राय में, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को या तो मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से जिला कलेक्टर और अध्यक्ष विजयनगरम (सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी) विजयनगरम और अन्य बनाम एम त्रिपुरा सुंदरी देवी (1) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर। उपरोक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"4. बहस के दौरान यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि मूल चयन गलती

से इस धारणा पर किया गया था कि प्रतिवादी ने विज्ञापन में बताई गई योग्यता-भर्ती को संतुष्ट किया था, प्रमाणपत्रों की जांच किए बिना, जिनकी प्रतियाँ उसके साथ भेजी गई थीं। आवेदन पत्र। चयन समिति ने माना कि जिन लोगों ने विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था, उनके पास पदों के लिए आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी की नियुक्ति के आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रतिवादी को मूल प्रमाणपत्रों के साथ आना चाहिए। जब प्रतिवादी ने प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों के साथ अपीलकर्ताओं से संपर्क किया, जिनकी जांच की गई, तो यह पाया गया कि वास्तव में वह योग्यताओं से कम थी। इन परिस्थितियों में उन्हें सेवाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

इसी चरण में वर्तमान मामले में गलती का पता चला और प्रतिवादी को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। हमें इस कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं दिखता।

6. सभी संबंधितों को यह अवश्य समझना चाहिए कि जब किसी विज्ञापन में किसी विशेष योग्यता का उल्लेख किया जाता है और उसकी उपेक्षा करते हुए नियुक्ति की जाती है, तो यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी और संबंधित नियुक्त व्यक्ति के बीच का मामला नहीं है। पीड़ित वे सभी लोग हैं जिनके पास नियुक्त या नियुक्त किए गए लोगों के समान या उससे भी बेहतर योग्यता थी, लेकिन जिन्होंने पद के लिए आवेदन नहीं किया था क्योंकि उनके पास विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताएं नहीं थीं। ऐसी परिस्थितियों में कम योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त करना जनता के साथ धोखाधड़ी है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है कि योग्यता में छूट दी जा सकती है। किसी भी अदालत को कपटपूर्ण प्रथा को जारी रखने में पक्षकार नहीं होना चाहिए। हमें डर है कि ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया है।"

(4) हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस दलील के समर्थन में शशि बाला बनाम राजस्थान राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं, (2) चूंकि याचिकाकर्ता ने 4 1/2 साल का समय दिया है, सेवा के बाद अब उन्हें नौकरी पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उपरोक्त मामले में, डिवीजन बेंच ने अजीबोगरीब स्थिति से निपटा। यह याचिका एक विधवा ने दायर की थी। उनके पति की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उनकी मृत्यु के समय उनके दो नाबालिग बेटे थे। विधवा ने सेवा के दौरान

मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की राजस्थान भर्ती नियम 1975 के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता मृतक की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी ने याचिकाकर्ता यानी दूसरी पत्नी की नियुक्ति के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" दिया था। पहली पत्नी को राज्य बीमा से संबंधित अपने पति के सभी भुगतान प्राप्त हुए थे; ग्रेच्युटी सहित अन्य पेंशन लाभ। याचिकाकर्ता को 21 मई 1987 को नियुक्त किया गया था। उसे 4 जून 1987 को फिर से उसी पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन एक अलग उद्योग केंद्र में। उन्होंने 6 जून 1987 को ज्वाइन किया था और तब से वह लगातार इस पद पर काम कर रही थीं। प्रतिवादी संख्या 3-उद्योग निदेशक ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या सुनवाई का कोई अवसर दिए याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दीं। इसी आदेश को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित आदेश पूरी तरह से जांच के बाद पारित किए गए थे। उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। डिवीजन बेंच के समक्ष, राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उसकी सेवाएं महालेखाकार राजस्थान द्वारा उठाए गए ऑडिट आपत्ति के आधार पर समाप्त कर दी गई थीं। आपत्ति यह थी कि अपीलकर्ता को वेतन का भुगतान स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह मृत सरकारी कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी/विधवा नहीं थी, क्योंकि दूसरी विधवा जीवित थी और उसे पेंशन लाभ दिया जा रहा था। मामले के बहुत ही अजीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच ने पाया कि विभाग प्रमुख ने मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के समग्र हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। यह विवादित नहीं था कि वर्ष 1987 में की गई नियुक्ति के अनुसार अपीलकर्ता ने वास्तव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम किया था और अपना वेतन अर्जित किया था। इसलिए, यह माना गया कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं के लिए वेतन का भुगतान किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता है, वह भी वर्ष 1998-99 की ऑडिट आपत्ति द्वारा और अपीलकर्ता की सेवाओं की समाप्ति भी बिना किसी कारण के की गई थी। कोई भी अवसर. डिवीजन बेंच ने पाया कि यह विभाग का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने उनसे कोई तथ्य छिपाकर अपनी नियुक्ति हासिल की थी। यह भी देखा गया कि "परिवार" की परिभाषा में पत्नी और पति, बेटे और विवाहित या विधवा बेटियां और कानून के प्रावधानों के अनुसार गोद लिए गए बेटे/बेटी शामिल हैं, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे। खंडपीठ इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि नियमों के तहत भी, नियुक्ति प्राधिकारी ने पूरी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के समग्र हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की। इसलिए, इसे इस प्रकार मनाया गया:-

"11..... जब प्राधिकारी ऐसा करने में सक्षम हो नियुक्ति और नियुक्ति देने के

लिए व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होने के कारण उसे रोजगार देने के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 13 साल की लंबी अवधि के बाद इस तरह के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और चूंकि नियुक्ति लाभकारी प्रकृति की होने और अनुकंपा के आधार पर होने के कारण अब सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर ऑडिट विभाग द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जो 13 वर्षों से गहरी नींद में था और अपीलकर्ता की सेवाओं को ऑडिट आपत्ति के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता था। ”

(5) डिवीजन बेंच की इन टिप्पणियों से इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना है कि याचिकाकर्ता को नीति के प्रावधानों के विपरीत नियुक्ति दी गई है। मामला पूरी तरह से एम त्रिपुरा सुंदरी देवी (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात से कवर किया जाएगा।

(6) हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यदि याचिकाकर्ता अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे ऊपरी आयु में छूट देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उपरोक्त दलील के समर्थन में विद्वान वकील ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम अंकुर गुप्ता (3) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जहां प्रतिवादी को 12 सितंबर 1997 को डाई-इन-हार्नेस योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। 18 मई 2001 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। हालाँकि, 24 सितम्बर 2001 के आदेश से 12 सितम्बर 1997 का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध व्यथित प्रतिवादी ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार नहीं हुई होगी, फिर भी तथ्य यह है कि प्रतिवादी (याचिकाकर्ता) ने चार साल तक काम किया था और योजना के तहत नियुक्ति मांगने में किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी का दोषी नहीं था। 24 सितम्बर 2001 का आक्षेपित आदेश उचित नहीं था। हरियाणा राज्य ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि 22 अगस्त 1996 को लागू हुई नीति के मद्देनजर नियुक्ति स्वीकार्य नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की नियुक्ति में विचार किए जाने वाले कारकों से संबंधित अन्य निर्णयों पर विचार किया जिनमें अनुकंपा के आधार पर और निम्नानुसार आयोजित किया गया:-

“10. किसी भी कोण से देखें तो हाई कोर्ट का नजरिया बचाव योग्य नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। लेकिन राज्य की अपील की

अनुमति देते समय यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी लगभग 4 वर्षों से अधिक समय से सरकारी सेवा में था। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र पहले ही अधिक हो चुकी है। विशिष्ट परिस्थितियों में, यदि प्रतिवादी दो साल की अवधि के भीतर सरकार में नौकरी के लिए आवेदन करता है और उसे अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत चयनित किया जाता है, तो आयु सीमा पार करने का सवाल उसके रास्ते में नहीं खड़ा होगा और उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा पर विधिवत विचार किया जाएगा। उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन अपील स्वीकार की जाती है। लागत आसान हो गई।"

(7) इन टिप्पणियों से याचिकाकर्ता को कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह अधिक उम्र का हो गया है क्योंकि याचिकाकर्ता की उम्र केवल 30 वर्ष है। सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। यह किसी नियुक्ति का मामला भी नहीं है जहां याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया हो। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति में स्पष्ट रूप से हेरफेर किया है। बेईमान आचरण को देखते हुए, याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के न्यायसंगत और असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत संभवतः कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इसलिए, भविष्य में किसी भी चरण में जब याचिकाकर्ता सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, तो उसके पक्ष में आयु में छूट के संबंध में कोई निर्देश जारी करना संभव नहीं होगा। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(8) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा